भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2792

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2026

अल्पसंख्यक छात्रों की शैक्षणिक उन्नति

2792. श्री चंदन चौहान:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की एक बड़ी आबादी निवास करती है, अल्पसंख्यक छात्रों की शैक्षणिक उन्नति के लिए चल रही योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान लाभार्थियों और हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्कूली अवसंरचना, डिजिटल संसाधनों, कौशल विकास और उच्च शिक्षा में प्रवेश सहित शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सामाजिक और आर्थिक प्रगति के एक प्रमुख साधन के रूप में शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले विशेष कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान बिजनौर सहित लाभार्थियों की संख्या तथा व्यय का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय PM VIKAS योजना का भी कार्यान्वयन करता है, जिसके अंतर्गत स्कूल ड्रापआउट अल्पसंख्यक छात्रों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परीक्षा के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु नामांकन में सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे उच्च शिक्षा अथवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में PM VIKAS योजना के अंतर्गत कोई परियोजना संचालित नहीं की जा रही है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों, जो व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं, को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना का भी कार्यान्वयन किया गया है।

साथ ही, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र अल्पसंख्यक छात्रों को रियायती शर्तों पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराता है।

शिक्षा मंत्रालय भी उच्च शिक्षा तक पहुंच, समानता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार, छात्रों को वित्तीय सहायता, डिजिटल शिक्षण पहल तथा शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम शामिल हैं, जो अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों सहित सभी पात्र छात्रों के लिए उपलब्ध हैं।

सरकार, संसाधनों की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन, लक्षित कार्याकलापों, जागरूकता सृजन, वित्तीय सहायता तंत्रों तथा शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक सशक्तीकरण हेतु किए जा रहे उपायों की निरंतर समीक्षा एवं सुदृढ़ीकरण कर रही है।

अनुबंध-I

'अल्पसंख्यक छात्रों की शैक्षणिक उन्नति' विषय पर माननीय सांसद श्री चंदन चौहान द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2792 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए बिजनौर जिले के संबंध में छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण							
जिले का नाम	शैक्षणिक वर्ष	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति		अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (सीएस)		व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति(सीएस)	
		स्वीकृत लाभार्थी	स्वीकृत राशि (रु.)	स्वीकृत लाभार्थी	स्वीकृत राशि (रु.)	स्वीकृत लाभार्थी	स्वीकृत राशि (रु.)
बिजनौर	2021-22	45221	184220670	5554	42008624	585	14670130
	2022-23*	1619	7595796	623	4678051	270	6752391

* शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकरण भुगतान।